SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

रेल–दुर्घटना एवं क्षतिपूर्तिः एक विधिक अध्ययन

प्रवीण कुमार शुक्ला, शोधार्थी, विधि विभाग
विनोद कुमार, (Ph.D.) विधि विभाग
श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, विद्यानगरी, झुंझुनूं, राजस्थान, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
प्रवीण कुमार शुक्ला
विनोद कुमार (Ph.D.)

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 20/05/2023
Revised on : -----
Accepted on : 30/05/2023
Plagiarism : 00% on 20/05/2023

शोध सार

'दुर्घटना' शब्द का अभिप्राय किसी अन्य व्यक्ति को पहुंची क्षति से है। सामान्य प्रज्ञा से परे कोई अप्रत्याशित घटना जिसकी परिकल्पना न की जा सके, या जिसके विरुद्ध सुरक्षा या संरक्षा न कर सके, 'दुर्घटना' कहलाती है। रेल–दुर्घटना रेल संचालन की प्रक्रिया में वह घटना है, जो रेलवे, उसके लोकोमेटिव, डिब्बे, रेलपथ, यात्रियों या सेवक की संरक्षा को प्रभावित करती है, या रेलगाड़ियॉ बिलम्बित होती है, रेलवे को क्षति कारित होती है। रेल अधिनियम 1989 की धारा 124क के अधीन 01.08.1994 से रेल प्रशासन यात्रियों को वहन करने वाली किसी रेलगाड़ी में, प्रतीक्षालय में, अमानती सामान गृह में, आरक्षण या बुकिंग कार्यालय में, प्लेटफार्म पर, रेलवे स्टेशन की परिसीमा के अन्दर किसी स्थान पर आतंकवादी गतिविधियां, हिंसात्मक हमले, लूट, डकैती, दंगे, गोलाबारी, आगजनी, या किसी यात्री गाड़ी में से किसी यात्री के दुर्घटनावश गिर जाने के कारण घटित 'अनपेक्षित घटना' में रेल यात्रियों के घायल हो जाने पर, उनकी मृत्यु हो जाने पर, क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होती है। रेल कार्य के दौरान किसी रेल कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा/परिवार के योग्य सदस्य को अनुग्रह राशिका (Ex-Gratia) का भुगतान किया जाता है।

मुख्य शब्द

रेल–दुर्घटना, रेल अधिनियम, अनुग्रह राशि, क्षतिपूर्ति, रेल दावा अधिकरण, प्रतिकर.

रेल–दुर्घटना रेल संचालन की प्रक्रिया में वह घटना है, जो रेलवे, उसके लोकोमेटिव, डिब्बे, रेलपथ, यात्रियों या सेवक की संरक्षा को प्रभावित करती है, या रेलगाड़ियॉ विलम्बित होती है, रेलवे को क्षति कारित

होती है। यात्री गाड़ी वह गाड़ी है, जो पूर्ण या आंशिक रूप से यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। दुर्घटना राहत ट्रेन, मिलिट्री स्पेशल ट्रेन, एस्कार्ट ट्रेन, टावर वैगन, आदि भी यात्री गाड़ी की श्रेणी में परिभाषित हैं। रेलगाड़ी, लोकोमेटिव या कोई अन्य वाहन जो एक बार रेलगाड़ी में जोड़ दिया जाता है, वह तबतक उस गाड़ी का हिस्सा बना रहता है, जब तक गन्तव्य स्टेशन तक पहुँच नहीं जाता है। जिस स्टेशन पर रेलगाड़ी या अन्य वाहन लोकोमेटिव से अलग कर दिया जाता है, तो वह गाड़ी का हिस्सा नहीं रह जाता है।

दुर्घटना का सामान्य अर्थ

'दुर्घटना' शब्द का अभिप्राय किसी अन्य व्यक्ति को पहुंची क्षति से है। 'दुर्घटना' में दूसरे को क्षति अन्तर्ग्रस्त होती है। सामान्य प्रज्ञा से परे कोई अप्रत्याशित घटना जिसकी परिकल्पना न कर सके या जिसके विरुद्ध सुरक्षा या संरक्षा न कर सके, 'दुर्घटना' कहलाती है। ''कोई प्रभाव 'दुर्घटना' कहा जाता है जबकि कार्य जिसके द्वारा यह कारित होता है इसे कारित न करने के आशय से किया जाता है और जब तक उस कार्य के निष्कर्ष स्वरूप इसका घटित होना इतना संभाव्य नहीं है कि एक सामान्य विवेक के व्यक्ति को उन परिस्थितियों, जिसके अन्तर्गत इसे किया गया, के विरुद्ध उचित सतर्कता बरतनी चाहिए।'' भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 80 दुर्भाग्य और दुर्घटना पर आधारित है। धारा 80 के अनुसार ''कोई बात अपराध नहीं है, जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण साधनों द्वारा, उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है।'' अर्थात् कोई कार्य अपने आप आपराधिक नहीं होता जब तक कि कर्ता ने उसे अपराधी आशय से न किया हो। अपराध को निर्मित करने के लिए अपराधी के आशय तथा उसके कार्य दोनों का संगामी होना आवश्यक है।

दुर्घटना के प्रकार

1. श्रेणी A टक्कर

- श्रेणी A-1: यात्री सहित गाड़ी की टक्कर जिसके परिणामस्वरुप जनहानि हुई हो, कोई गम्भीर रुप से घायल हुआ हो, दो करोड़ रु० से अधिक मूल्य की रेलवे सम्पत्ति को नुकसान कारित हो, संचार की किसी महत्वपूर्ण थ्रू लाइन में कम से कम 24 घण्टों की बाधा उत्पन्न हो।
- श्रेणी A-2: यात्री रहित गाड़ी की टक्कर जिसके परिणामस्वरुप जनहानि हुई हो, कोई गम्भीर रुप से घायल हुआ हो, दो करोड़ रु० से अधिक मूल्य की रेलवे सम्पत्ति का नुकसान कारित हो, संचार की किसी महत्वपूर्ण थ्रू लाइन में कम से कम 24 घण्टों की बाधा उत्पन्न हो।
- श्रेणी A-3: यात्री सहित गाड़ी की टक्कर, जो श्रेणी। A1 के अन्तर्गत परिभाषित न हो।
- श्रेणी A-4: यात्री रहित गाड़ी की टक्कर, जो श्रेणी। A2 के अन्तर्गत परिभाषित न हो।
- श्रेणी A-5: अन्य टक्करें, अर्थात् शंटिंग, मार्शलिंग यार्ड, लोको यार्ड और साइडिंग आदि में होने वाली टक्करें। (इसमें कोई गाड़ी सम्मिलित नहीं है।)

2. श्रेणी B गाड़ियों में आग

- श्रेणी B-1: यात्री सहित गाड़ी में आग जिसके परिणामस्वरुप जनहानि हुई हो, कोई गम्भीर रुप से घायल हुआ हो, दो करोड़ रु० से अधिक मूल्य की रेलवे सम्पत्ति की क्षति कारित हुई हो, संचार की महत्वपूर्ण थ्रू लाइन में कम से कम 24 घण्टों का बाधा उत्पन्न हो।
- श्रेणी B-2: यात्री रहित गाड़ी में आग जिसके परिणामस्वरुप जनहानि हुई हो, कोई गम्भीर रुप से घायल हुआ हो, 2 करोड़ रु० से अधिक मूल्य की रेलवे सम्पत्ति की क्षति कारित हुई हो, संचार की महत्वपूर्ण थ्रू लाइन में कम से कम 24 घण्टों की बाधा उत्पन्न हो।
- श्रेणी B-2: यात्री सहित गाड़ी में आग, जो श्रेणी B-1 के अन्तर्गत परिभाषित न हो, परन्तु रू 50000/– या अधिक रेलवे सम्पत्ति की क्षति कारित हुई हो, निर्धारित निम्नवत् स्तर से अधिक का यातायात में बाधा उत्पन्न हो, गाड़ी से डिब्बे अलग हुये हो, राहत लोकोमेटिव की आवश्यकता हुई हो।

- श्रेणी B-4: यात्री रहित गाड़ी में आग या विस्फोट, जो श्रेणी B-2 के अन्तर्गत परिभाषित न हो, लेकिन जिसके कारण रेलवे सम्पत्ति की रू 50000/ या अधिक क्षति कारित हो, यातायात में अत्यधिक अनावश्यक बाधा उत्पन्न हो, गाड़ी से डिब्बे हटाना पड़े, राहत लोकोमेटिव की आवश्यकता उत्पन्न हो।
- श्रेणी B-5: यात्री सहित गाड़ी में आग या विस्फोट, और जो श्रेणी B-1 या श्रेणी B-3 के अंतर्गत न आता हो।
- श्रेणी B-6: यात्री रहित गाड़ी में आग या विस्फोट और जो श्रेणी B-2 या श्रेणी B-4 के अंतर्गत न आता हो।
- श्रेणी B-7: शंटिंग, मार्शलिंग यार्ड, लोको और साइडिंग आदि में लगने वाली आग या विस्फोट जिसमें डिब्बे शामिल हो।(परन्तु गाड़ी शामिल न हुई हो)

3. **श्रेणी C समपारों पर गाड़ियों का सड़क यातायात से टकराना, या सड़क यातायात का गाड़ियों से टकराना।**

- श्रेणी C-1: चौकीदार वाले समपारों पर यात्री सहित गाड़ियों का सड़क यातायात से टकराना, या सड़क यातायात का ऐसी गाड़ियों से टकराना, जिसके परिणामस्वरूप जनहानि हुई हो, या कोई गम्भीर रूप से घायल हुआ हो, या रेलवे सम्पित्त की क्षति हुई हो, या निर्धारित निम्नतम् स्तर से अधिक का यातायात में व्यवधान उत्पन्न हुआ हो।
- श्रेणी C-2: चौकीदार वाले समपारों पर यात्री रहित गाड़ियों का सड़क यातायात से टकराना, या सड़क यातायात का ऐसी गाड़ियों से टकराना, जिसके परिणामस्वरूप जनहानि हुई हो, या कोई गम्भीर रूप से घायल हुआ हो, या रेलवे सम्पित्त की क्षति हुई हो, या निर्धारित निम्नतम् स्तर से अधिक यातायात में व्यवधान उत्पन्न हुआ हो।
- श्रेणी C-3: बिना चौकीदार वाले समपारों पर यात्री सहित गाड़ियों का सड़क यातायात से टकराना, या सड़क यातायात का ऐसी गाड़ियों से टकराना, जिसके परिणामस्वरूप जनहानि हुई हो,या कोई गम्भीर रूप से घायल हुआ हो, या रेल सम्पित्त को नुकसान हुआ हो, या निर्धारित निम्नतम् स्तर से अधिक यातायात में बाधा उत्पन्न हुआ हो।
- श्रेणी C-4: बिना चौकीदार वाले समपारों पर यात्री रहित गाड़ियों का सड़क यातायात से टकराना, या सड़क यातायात का ऐसी गाड़ियों से टकराना, जिसके परिणामस्वरूप जनहानि हुई हो, या कोई गम्भीर रूप से घायल हुआ हो, या रेलवे सम्पित्त को नुकसान हुआ हो, या निर्धारित निम्नतम् स्तर से अधिक यातायात में बाधा उत्पन्न हुआ हो।
- श्रेणी C-5: चौकीदार वाले समपारों पर यात्री सहित गाड़ियों का सड़क यातायात से टकराना, या सड़क यातायात का ऐसी गाड़ियों से टकराना, किन्तु जो श्रेणी C-1 के अन्तर्गत परिभाषित न हो।
- श्रेणी C-6: चौकीदार वाले समपारों पर यात्री रहित गाड़ियों का सड़क यातायात से टकराना, या सड़क यातायात का ऐसी गाड़ियों से टकराना जो श्रेणी C-2 के अन्तर्गत परिभाषित न हो।
- श्रेणी C-7: बिना चौकीदार वाले समपारों पर यात्री सहित गाड़ियों का सड़क यातायात से टकराना, या सड़क यातायात का ऐसी गाड़ियों से टकराना, जो श्रेणी C-3 के अन्तर्गत परिभाषित न हो।
- श्रेणी C-8: बिना चौकीदार वाले समपारों पर यात्री रहित गाड़ियों का सड़क यातायात से टकरानाया सड़क यातायात का ऐसी गाड़ियों से टकराना, जो श्रेणी C-4 के अन्तर्गत परिभाषित न हो।
- श्रेणी C-9: वाहनों सहित यावाहनों के बिना शंटिंग इंजन का या लूज वाहनों का, या सड़क यातायात का वाहनों सहित, या वाहनों के बिना शंटिंग समपारों पर सड़क यातायात से टकराना, या लूज वाहनों से समपारों पर टकराना।

4. **श्रेणी D अवपथन (Derailment)**

- श्रेणी D-1: किसी यात्री गाड़ी का पटरी से उतर जाना जिसके परिणामस्वरूप जनहानि हो जाये, या कोई

गम्भीर रूप से घायल हो जाये, या रेल सम्पत्ति का दो करोड़ रूपये से अधिक मूल्य का नुकसान हो जाये, या कोई महत्वपूर्ण थ्रू रेल लाइन में कम से कम 24 घण्टे का बाधा उत्पन्न हो।

- श्रेणी D-2: यात्री रहित किसी गाड़ी का पटरी से उतर जाना जिसके परिणामस्वरूप जनहानि हो, कोई गम्भीर रूप से घायल हो जाये, रेल सम्पित्त का दो करोड़ रूपये से अधिक का नुकसान हो जाये, कोई महत्वपूर्ण थ्रू रेल लाइन में कम से कम 24 घण्टे का बाधा उत्पन्न हो।
- श्रेणी D-3: यात्री सहित किसी गाड़ी का पटरी से उतर जाना जो श्रेणी D-1 के अन्तर्गत परिभाषित न हो।
- श्रेणी D-4: यात्री रहित किसी गाड़ी का पटरी से उतर जाना, जो श्रेणी D-2 के अन्तर्गत परिभाषित न हो, परन्तु जिसके कारण रेल सम्पित्त को क्षति हुई हो, यातायात में उत्पन्न बाधा निर्धारित सीमा से अधिक हो।
- श्रेणी D-5: यात्री रहित किसी गाड़ी का पटरी से उतर जाना, जो श्रेणी D-2 या श्रेणी D-4 के अन्तर्गत परिभाषित न हो।
- श्रेणी D-6: पटरी से उतर जाने की अन्य घटनाये; अर्थात् शंटिंग, मार्शलिंग यार्ड, लोको यार्ड, और साइडिंग आदि में पटरी से उतर जाना।(जिनमें कोई गाड़ी शामिल न हो)।

5. श्रेणी E अन्य गाड़ी दुर्घटना

- श्रेणी E-1: गाड़ी का किसी स्थिर संरचना या किसी अवरोध के ऊपर से निकल जाना, उससे टकराना, जो श्रेणी C में शामिल न हो, जिसके परिणामस्वरूप जनहानि हो, कोई गम्भीर रूप से घायल हो जाये, रेल संपत्ति को नुकसान कारित हो,यातायात में उत्पन्न बाधा निर्धारित सीमा से अधिक हो।
- श्रेणी E-1: गाड़ी का किसी स्थिर संरचना या अवरोध से टकराना। (जो श्रेणी C या श्रेणी E-1 के अन्तर्गत परिभाषित न हो।)

6. श्रेणी F निवारित टक्कर

- श्रेणी F-1: दो यात्री गाड़ियों के बीच निवारित टक्करें जिसमें कम से कम एक यात्री गाड़ी हो।
- श्रेणी F-2: यात्री सहित गाड़ी और किसी अवरोध के बीच निवारित टक्कर।
- श्रेणी F-3: यात्री रहित दो गाड़ियों के बीच निवारित टक्कर।
- श्रेणी F-4: यात्री रहित गाड़ी या किसी अवरोध के बीच निवारित टक्कर।

7. श्रेणी G ब्लाक नियमों का उल्लंघन

- श्रेणी G-1: किसी प्राधिकार के बिना, या आगे बढ़ने के लिये उचित प्राधिकार के बिना, यात्री सहित गाड़ी का ब्लाक खण्ड में प्रवेश करना।
- श्रेणी G-2: किसी प्राधिकार के बिना, या आगे बढ़ने के लिये उचित प्राधिकार के बिना, यात्री रहित गाड़ी का ब्लाक खण्ड में प्रवेश करना।
- श्रेणी G-3: अवरोध लाइन पर गाड़ी को ले जाना, जो निवारित टक्कर में नहीं आता हो।
- श्रेणी G-4: गाड़ी का किसी स्टेशन पर किसी गलत लाइन अथवा कैंची अथवा स्लीप साइडिंग अथवा सैंडहम्प पर प्रवेश करना।

8. श्रेणी H गाड़ी का खतरे की स्थिति मे सिगनल को पार कर जाना

- श्रेणी H-1: यात्री सहित गाड़ी द्वारा खतरे की स्टाप सिगनल को बिना किसी उचित प्राधिकार के पार कर जाना।
- श्रेणी H-2: यात्री रहित गाड़ी द्वारा खतरे की स्टाप सिगनल को बिना किसी उचित प्राधिकार के पार कर जाना।

9. श्रेणी J इंजन (लोकोमेटिव) तथा चल स्टाक (डिब्बे) में खराबी

- श्रेणी J-1: यात्री सहितगाड़ी का लोकोमेटिव खराब हो जाना।

- श्रेणी J-2: यात्री रहित गाड़ी का लोकोमेटिव का खराब हो जाना।
- श्रेणी J-3: यात्री सहित गाड़ी का विभाजन।
- श्रेणी J-4: यात्री रहित गाड़ी का विभाजन।
- श्रेणी J-5: यात्री सहित गाड़ी के पहियों, धुरों, या ब्रेकिंग उपकरण का खराब हो जाना, जिसके परिणामस्वरूप गाड़ी के डिब्बें को अलग करना पड़े।
- श्रेणी J-6: यात्री रहित गाड़ी के पहियों, धुरों, या ब्रेकिंग उपकरण का खराब हो जाना, जिसके परिणामस्वरूप गाड़ी के डिब्बें को अलग करना पड़े।
- श्रेणी J-7: यात्री सहित गाड़ी के पहियों, धुरों, या ब्रेकिंग उपकरण का खराब हो जाना, जिसके परिणामस्वरूप गाड़ी के डिब्बें को अलग न करना पड़े।
- श्रेणी J-8: यात्री रहित गाड़ी के पहियों, धुरों, या ब्रेकिंग उपकरण का खराब हो जाना, जिसके परिणामस्वरूप गाड़ी के डिब्बें को अलग न करना पड़े।
- श्रेणी J-9: गाड़ी या गाड़ी के किसी भाग का नियन्त्रण से बाहर हो जाना।
- श्रेणी J-10: गाड़ी में खराब ब्रेक पावर जो श्रेणी श्र.9 के अन्तर्गत परिभाषित न हो।

10. श्रेणी K रेलपथ खराब हो जाना

- श्रेणी K-1: रेलपथ की बकलिंग
- श्रेणी K-2: वेल्ड का खराब हो जाना
- श्रेणी K-3: पटरी का टूटना
- श्रेणी K-4: रेलपथ पर कितनी भी दूरी पर चलते समय चलित गाड़ियों के ड्राईवरों को असामान्य धीमी गति, अथवा गाड़ी चलने में कठिनाई, या गाड़ी के एक तरफ झुके होने का अनुभव होता है, जिसके कारण संचार अवरूद्ध हो जाता है।
- श्रेणी K-5: रेलवे सुरंग, पुल, और पुलिया में खराबी इत्यादि।
- श्रेणी K-6: श्रेणी K-1 से श्रेणी K-5 के अन्तर्गत आने वाली क्षतियों के अतिरिक्त रेल पथ की इस प्रकार की क्षति, जिसके कारण गाड़ी संचलन के लिए अस्थायी रूप से असुरक्षित हो जाता है या यातायात में विलम्बन की संभावना हो।
- श्रेणी K-7: रेलपथ की क्षति जिसके कारण गाड़ियॉ गुजारने के लिये अस्थायी रूप से असुरक्षित हो जाता है, या जिसके कारण यातायात में विलम्ब होने की सम्भावना होती है, जो श्रेणी K-1 से श्रेणी K-6 के अंतर्गत नहीं आते हैं।

11. श्रेणी L बिजली उपस्करों का खराब हो जाना

- श्रेणी L-1: शिरोपरि उपस्कर सम्बन्धी तार का टूटना जिसके लिये शिरोपरि उपस्कर को 3 मिनट से अधिक समय के लिये बन्द करने की आवश्यकता उत्पन्न हो।
- श्रेणी L-2: शिरोपरि उपस्कर में 3 मिनट से अधिक समय तक विद्युत का प्रभाव न होना।
- श्रेणी L-3: श्रेणी J-1 एवं J-2 के अन्तर्गत शामिल न किये गये पैन्टो का विद्युत तार में उलझना।
- श्रेणी L-4: वातानुकूल या अन्य विद्युत उपस्कर में खराबी जिसके कारण डिब्बें को गाड़ी से अलग करने की आवश्यकता उत्पन्न हो।

12. श्रेणी M सिगनल एवं दूर संचार का खराब हो जाना

- श्रेणी M-1: पूरा पैनल या उसका कोई भाग आर.आर.आई. (Route Relay Interlocking) का खराब होना।
- श्रेणी M-2: इन्टरलाकिंग, ट्रैक सर्किट, या एक्शल काउन्टर का खराब हो जाना।
- श्रेणी M-3: ब्लाक उपकरणों का खराब हो जाना।

- श्रेणी M-4: प्वाइन्ट मशीन या उपस्करणों का खराब हो जाना।
- श्रेणी M-5: सिगनल प्वाइन्ट का खराब हो जाना।
- श्रेणी M-6: स्टेशन संचार में 15 मिनट से अधिक समय तक बाधा उत्पन्न हो।
- श्रेणी M-4: स्टेशन या समपार गेट संचार में 15 मिनट से अधिक समय तक बाधा उत्पन्न हो।

13. श्रेणी N गाड़ी में तोड़फोड़ या विध्वंस करना

- श्रेणी N-1: यात्री वाहक गाड़ियों को जानबूझकर क्षतिग्रस्त करना, तोड़फोड़ करना, बम या विस्फोटक रखना, जिससे मानव जीवन की क्षति, गम्भीर चोट उत्पन्न हो। (रेल सम्पित्त को क्षति कारित होना आवश्यक नहीं)
- श्रेणी N-2: यात्री विहीन वाहक गाड़ियों को जानबूझकर क्षतिग्रस्त करना, तोड़फोड़ करना, बम या विस्फोटक रखना, जिससे मानव जीवन की क्षति, गम्भीर चोट उत्पन्न हो। (रेल सम्पित्त को क्षति कारित होना आवश्यक नहीं)
- श्रेणी N-3: सिगनल और रेल पथ के साथ जानबूझकर की गयी तोड़फोड़, छेड़छाड़ या बम विस्फोट या ड्यूटी पर कार्यरत् ट्रेन के रनिंग स्टाफ या यात्रियों को बलपूर्वक बन्धक बनाने की घटना। (जिसमें कोई गाड़ी शामिल न हो)

14. श्रेणी P हताहत

- श्रेणी P-1: चलती गाड़ी से बाहर गिरने के परिणामस्वरूप व्यक्ति या व्यक्तियों का गम्भीर रूप से घायल या मृत्यु हो जाना।
- श्रेणी P-2: चलती गाड़ी के नीचे आ जाने, चलती गाड़ी से टकरा जाने के कारण व्यक्ति या व्यक्तियों का गम्भीर रूप से घायल हो जाना या उनकी मृत्यु हो जाना।
- श्रेणी P-3: चलती गाड़ी से बाहर गिरना, या लोकोमेटिव या गाड़ी, लोकोमेटिव से टकराने के परिणामस्वरूप बहुत गम्भीर रूप से घायल न होना या जनहानि न होना।

15. श्रेणी Q अन्य दुर्घटनायें

- श्रेणी Q-1: रेल परिसर में (रेल क्वार्टरों को छोड़कर) किसी व्यक्ति की दुर्घटनावश या स्वाभाविक मृत्यु, या गम्भीर चोट लगना चाहे वह यात्री हो, रेल कर्मचारी हो, या वहॉ से गुजरने वाला अतिचारी, या कोई भी अन्य व्यक्ति हो।
- श्रेणी Q-2: गाड़ी में, या रेल परिसर के अन्दर हत्या या आत्महत्या कारित होना।
- श्रेणी Q-3: रेल परिसर में, या गाड़ियों में चोरी या डाका डकैती, या इसका प्रयत्न करना।
- श्रेणी Q-4: रेल परिसर में आग, या विस्फोट होना (जिसमें कोई गाड़ी शामिल न हो)।
- श्रेणी Q-5: आग या विस्फोट जिसके परिणामस्वरूप रेलवे पुल, पुलिया, इत्यादि का क्षतिग्रस्त हो जाना।
- श्रेणी Q-6: आन्दोलन या हड़ताल के कारण गाड़ी सेवाओं में बाधा उत्पन्न होना।

16. श्रेणी R विविध

- श्रेणी R-1: डिब्बे का अनियंत्रित हो जाना।
- श्रेणी R-2: मवेशी का गाड़ी के नीचे आ जाना।
- श्रेणी R-3: बाढ़, दरार, भू–स्खलन आदि के कारण यातायात में निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक का अवरोध उत्पन्न होना।
- श्रेणी R-4: बाढ़, दरारों, भू–स्खलन आदि के अन्य मामले, जिसके कारण यातायात में अवरोध उत्पन्न हो जाये।
- श्रेणी R-5: अन्य दुघर्टनायें, जो पूर्ववर्ती वर्गीकरण में शामिल नहीं है।

रेल दुर्घटनाओं का वर्गीकरण

रेल दुर्घटना के सन्दर्भ में समय–समय पर भिन्न–भिन्न भॉति की दुर्घटनायें सुनने को मिलती है। रेल के अन्तर्गत दुर्घटनाओं का वर्गीकरण निम्नवत् है:

I गाड़ी दुर्घटना
II यार्ड दुर्घटना
III सांकेतिक दुर्घटना
IV उपकरण विफलता
V असामान्य घटनायें

I रेलगाड़ी दुर्घटनाः गाड़ी दुर्घटना, वह दुर्घटना है, जिसमें गाड़ी शामिल होती है। गाड़ी दुर्घटना के अन्तर्गत' परिणामी गाड़ी दुर्घटना' एवं 'अन्य गाड़ी दुर्घटना' सम्मिलित होता है। 'परिणामी गाड़ी दुर्घटना' के अन्तर्गत गम्भीर दुष्प्रभाव वाली वह गाड़ी दुर्घटना शामिल हैं, जिनमें मानव जीवन की गम्भीर क्षति कारित हो, रेल संपत्ति का नुकसान कारित हो, तथा रेल यातायात बाधित हुआ हो। निम्नवत् वर्गीकरण के अन्तर्गत कारित गाड़ी दुर्घटना 'परिणामी गाड़ी दुर्घटना' की श्रेणी में आता है:

1. A-1 से A-4 तक की श्रेणी के अन्तर्गत समस्त मामले।
2. B-1 से B-4 तक की श्रेणी के अन्तर्गत समस्त मामले।
3. C-1 से C-4 तक की श्रेणी के अन्तर्गत समस्त मामले।
4. D-1 से D-4 तक की श्रेणी के अन्तर्गत समस्त मामले।
5. E-1 की श्रेणी के अन्तर्गत समस्त मामले।

'अन्य गाड़ी दुर्घटना' के अन्तर्गत अन्य सभी दुर्घटना, जो 'परिणामी गाड़ी दुर्घटना' की परिभाषा के अर्न्तगत परिभाषित नहीं हैं, उन्हें 'अन्य गाड़ी दुर्घटना' कहा जाता है। ठ.5, ठ.6, ब्.5 से ब्.8, क्.5 एवं म्.2 श्रेणी के अन्तर्गत परिभाषित समस्त दुर्घटना 'अन्य गाड़ी दुर्घटना' की श्रेणी में आती हैं।

II. यार्ड दुर्घटनाः 'यार्ड दुर्घटना' के अन्तर्गत यार्ड में घटित दुर्घटना से अभिप्राय है (जिसमें गाड़ी शामिल न हो) ।A-5, B-7, C-9 एवं D-6 श्रेणी के अन्तर्गत परिभाषित समस्त घटित दुर्घटना को 'यार्ड दुर्घटना' की श्रेणी में आते हैं।

III. सांकेतिक दुर्घटनाः सांकेतिक दुर्घटना वास्तव में दुर्घटना नहीं होती हैं, बल्कि गम्भीर सम्भावित खतरे का संकेतक हैं। सांकेतिक दुर्घटना के अर्न्तगत ट्रेन का लाल सिग्नल को पार करना, ब्लाक या काशन नियमों का उल्लंघन, F-1 से F-4, G-1 से G-4, H-1 से H-2 श्रेणी के अन्तर्गत परिभाषित समस्त दुर्घटना 'सांकेतिक दुर्घटना' की श्रेणी में आती हैं।

IV. उपकरण की विफलताः लोकोमोटिव (इंजन), रेल डिब्बे (चल स्टाक), रेल–पथ शिरोपरि तारें, सिगनल एवं दूरसंचार उपकरण आदि रेल 'उपकरण की विफलता' शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित हैं। J-1 से J-10, K-1 से K-7, L-1 से L-4, M-1 से M-7 श्रेणी के अन्तर्गत परिभाषित समस्त घटित दुर्घटना को 'यार्ड दुर्घटना' कहा जाता हैं।

V. असामान्य घटनाः इस श्रेणी के अन्तर्गत कानून–व्यवस्था से सम्बन्धित प्रकरण एवं श्रेणी N-1से N-3, श्रेणी P-1 से P-3, श्रेणी Q–1 से Q–6 तथा श्रेणी R–1 से R–5 कोटि के अन्तर्गत परिभाषित समस्त मामले 'असामान्य घटना' श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

दुर्घटना चेतावनी संकेतांक

जिस स्टेशन या यार्ड में दुर्घटना सहायता गाड़ी, दुर्घटना चिकित्सा सहायता गाड़ी स्थित है एवं एलार्म साइरन उपलब्ध हैं, वहॉ दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही चिकित्सा सहायता गाड़ी, ब्रेक डाउन, टावर गाड़ी को दुर्घटना स्थल पर शीघ्र भेजने के साथ दुर्घटना चेतावनी एलार्म को निम्नलिखित कोड के साथ बजाया जायेगा:

क्रम सं0	परिस्थितियाँ	सायरनों की संख्या
01.	जब दुर्घटना लोको–शेड या उससे जुड़े यातायात यार्ड में घटित हुई हो।	2 लम्बा सायरन
02.	जब दुर्घटना बाहरी स्टेशन पर घटित हो, किन्तु मुख्य लाइन अवरोध मुक्त हो तथा सहायता गाड़ी को दुर्घटना सहायता चिकित्सा उपकरण यान रहित चलाना हो।	3 लम्बा सायरन
03.	जब दुर्घटना किसी बाहरी स्टेशन पर घटित हो, किन्तु मुख्य लाइन अवरोध मुक्त हो तथा सहायता गाड़ी को दुर्घटना सहायता चिकित्सा उपकरण यान सहित चलाना हो।	3 लम्बी एवं 1 छोटी सायरन
04.	जब दुर्घटना किसी बाहरी स्टेशन पर घटित हुई हो एवं मुख्य लाइन पर अवरोध कारित हो, तथा सहायता गाड़ी को दुर्घटना सहायता चिकित्सा उपकरण यान रहित चलाना हो।	4 लम्बा सायरन
05.	जब दुर्घटना किसी बाहरी स्टेशन पर घटित हुई हो एवं मुख्य लाइन पर अवरोध कारित हो, एवं सहायता गाड़ी को दुर्घटना सहायता चिकित्सा उपकरण यान सहित चलाना हो।	4 लम्बी एवं 1 छोटी सायरन

अनुग्रह राशि का भुगतान

रेल अधिनियम 1989 की धारा 124क के अधीन 01.08.1994 से रेल प्रशासन यात्रियों को वहन करने वाली किसी रेलगाड़ी में, प्रतीक्षालय में, अमानती सामान गृह में, आरक्षण या बुकिंग कार्यालय में, प्लेटफार्म पर, रेलवे स्टेशन की परिसीमा के अन्दर किसी स्थान पर आतंकवादी गतिविधियां, हिंसात्मक हमले, लूट, डकैती, दंगे, गोलाबारी, आगजनी, या किसी यात्री गाड़ी में से किसी यात्री के दुर्घटनावश गिर जाने के कारण घटित 'अनपेक्षित घटना' में रेल यात्रियों के घायल हो जाने पर, उनकी मृत्यु हो जाने पर, क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होती है।

क्षतिपूर्ति का भुगतान रेल दुर्घटना एवं अप्रिय घटना (क्षतिपूर्ति) संशोधन अधिनियम, 1997 द्वारा प्रशासित होता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत मृत्यु का दशा एवं चोट की दशा में भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि का विवरण निम्नवत् है:

मृत्यु और चोटों के लिए देय प्रतिकर राशि

क्रम सं0	विवरण	प्रतिकर की राशि
01.	मृत्यु का दशा में	8,00,000
02.	दोनों हाथों का नुकसान या अंग–विच्छेद	8,00,000
03.	हाथ और पैर का नुकसान	8,00,000
04.	पैर या जांघ में दोहरा अंग–विच्छेद, या जांघ या एक पैर या जांघ के मध्य अंग–विच्छेद और दूसरे पैर में नुकसान	8,00,000
05.	दृष्टि–दोष इस सीमा तक कि दावेदार किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हो जाये जिसके लिये दृष्टि आवश्यक है	8,00,000
06.	गम्भीर रूप से चेहरे का विद्रूपीकरण	8,00,000
07.	पूर्ण बहरापन	8,00,000
08.	कंधे के जोड़ से अंग–विच्छेद	7,20,000
09.	अंसकूट(Acromion) सिरे से 8'' कंधे के नीचे अंग–विच्छेद	6,40,000
10.	अंसकूट(Acromion) सिरे से 8'' कंधे से 4.5'' नीचे कोहनी का अंग–विच्छेद	5,60,000

11.	एक हाथ या अंगूठा और एक हाथ की चार अंगुलियों की क्षति या अंसकूट(Acromion) सिरे से 4.5'' अंग–विच्छेद	4,80,000
12.	अंगूठे की क्षति	2,40,000
13.	अंगूठे और उसकी करभिकास्थि हड्डी का क्षति	3,20,000
14.	एक हाथ की चार अंगुलियों की क्षति	4,00,000
15.	एक हाथ की तीन अंगुलियों की क्षति	2,40,000
16.	एक हाथ की दो अंगुलियों की क्षति	1,60,000
17.	अंगूठा की हड्डी का अवसान की क्षति	1,60,000
18.	दोनों पैरों के अंगविच्छेद जिसके परिणामस्वरूप पैर घसीटकर चलना	7,20,000
19.	मेटाटार्सो–फलान्जियल जोड़ के माध्यम से एक पैरों की सभी उंगलियों को क्षति	1,60,000
20.	इण्टर–फैन्जियल जोड़ के समीपस्थ दोनों पैरों के सभी पैर की उंगलियों को क्षति	2,40,000
21.	समीपस्थ इण्टर–फलेंजियल जोड़ के दोनों पैरों के सभी पैर की उंगलियों को क्षति	2,40,000
22.	कुल्हे के नीचे अंगच्छेद के लिए जिसकी लम्बाई 5'' से अधिक न हो और ट्रेंच–एंटर के सिरे से मापी गई	6,40,000
23.	*मेटाटार्सो–फैलेंजल* जोड़ के समीपस्थ एक पैर का अंगविच्छेद	3,20,000
24.	कूल्हे के नीचे के अंगच्छेदन के लिए, जिसकी लंबाई 5'' से अधिक हो, जिसकी लम्बाई ग्रेट ट्रेंच एण्टर के सिरे से मापी गई हो, लेकिन मध्य जांघ से आगे नहीं	6,40,000
25.	दोनों पैरों के प्रपदिकीय जोड़ के समीपस्थ विच्छेदन	1,60,000
26.	कूल्हे के अगं विच्छेद	7,20,000
27.	घुटने के नीचे 3.5'' विच्छेदन	4,80,000
28.	घुटने के नीचे विच्छेद 5'' से अधिक नहीं	3,20,000
29.	बिना लकवे के रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर	2,40,000
30.	मेटाटार्सो–फलान्जियल जोड़ के माध्यम से पैर की सभी उंगलियों को क्षति	6,40,000
31.	पैरापलेजिया के साथ रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर	4,00,000
32.	हिप–जॉइंट का फ्रैक्चर	7,20,000
33.	एक पैर के विच्छेदन	2,40,000
34.	बिना दूसरी आंख में जटिलता के एक आंख की क्षति	3,20,000
35.	घुटने के नीचे के अंगच्छेदन 5'' से अधिक	3,20,000
36.	एक आँख सामान्य होने पर, एक आँख की पुतली के विरूपण की जटिलताओं के बिना, एक आँख का दृष्टिदोष	2,40,000
37.	फीमर टिबिया हड्डी का फ्रैक्चर दोनों अंगों की	1,60,000
38.	मेजर बोन ह्यूमरस रेडियस अंग का फ्रैक्चर	1,20,000
39.	कूल्हे का फ्रैक्चर, जिसमें जोड. शामिल नहीं	80000
40.	फीमर टिबिया हड्डी के एक अंग का फ्रैक्चर	80000
41.	ह्यूमरस रेडियस उल्ना हड्डी के एक अंग का फ्रैक्चर	64000

रेल कार्य के दौरान किसी रेल कर्मचारी की दुर्घटना में मत्यु हो जाने पर उसकी विधवा/परिवार के योग्य सदस्य को अनुग्रह राशिका (Ex-Gratia) का भुगतान

रेल कार्य के दौरान किसी रेल कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा/परिवार के योग्य सदस्य को अनुग्रह राशि का (Ex-Gratia) का भुगतान निम्न प्रकार किया जायेगा:

1. रेल कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु के मामले में– रू. 10 लाख
2. रेल कार्य करते समय आंतकी हिंसा या असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा के कारण मृत्यु होने पर– रू. 10 लाख
3. यदि मृत्यु का कारण पड़ोसी देश से युद्व या देश की सीमा पर मुठभेड़, युद्ध के दौरान आंतकी हमला, उग्रवादी हमला– रू. 15 लाख
4. मृत्यु कार्य के दौरान– सीमा पर दुश्मन चौकी द्वारा हमला, प्राकृतिक आपदा व अत्यन्तखराब मौसम के कारण होने पर– रू. 15 लाख
5. एक मुश्त (Lump-Sum) अनुग्रह की कोई अधिकतम सीमा (Ceilling Limit) नहीं होगी।

क्षतिपूर्ति के लिये आवेदन

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 125 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के लिये आवेदन सम्बन्धी उपबन्ध किये गये हैं। धारा 124 या धारा 124क के अधीन प्रतिकर के लिये आवेदन 'रेल दावा अधिकरण' में उस व्यक्ति द्वारा जिसे क्षति पहुंची है, या कोई हानि हुई है, या पीड़ित व्यक्ति का प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा, अवयस्क का स्थिति में उसके संरक्षक द्वारा, जहां दुर्घटना के परिणाम स्वरुप मृत्यु हो गई है, वहां मृतक के किसी आश्रित द्वारा, जहां ऐसा आश्रित अवयस्क है वहां उसके संरक्षक द्वारा किया जायेगा।

क्षतिपूर्ति के लिये आवेदन पत्र पर निर्णय 'रेल दावा अधिकरण' द्वारा किया जायेगा। 08.11.1989 से देश में अधिकरण की 21 पीठें देश के विभिन्न भागों में कार्यरत् हैं। आवेदनकर्ता, रेल दावा अधिकरण की अब उन पीठों में भी अपने दावे कर सकता है:

1. जहां आवेदनकर्ता निवास करता है; या
2. जिस स्थान से यात्री ने अपना टिकट खरीदा हो; या
3. जहां पर दुर्घटना घटित हुई हो; या
4. गन्तव्य स्थल के स्टेशन पर।

(जबकि 08.11.1989 से पूर्व दावा केवल दुर्घटना स्थल वाले स्थान पर ही किया जा सकता था।)

निष्कर्ष

रेलवे में दुर्घटना या अप्रिय घटना से होने वाली क्षति या हानि रेल दुर्घटना एवं अप्रिय घटना अधिनियम के अनुपालन में प्रदत्त की जाती है। इसके अतिरिक्त रेलवे बोर्ड द्वारा जारी समय–समय पर साधारण अध्यादेश के अनुपालन में प्रतिकर या अनुग्रह राशि देय होती है। पीड़ित पक्ष की सुविधा को ध्यान में रखते हुये अधिक से अधिक 'रेल दावा अधिकरण' की स्थापना की आवश्यकता है जिससे पीड़ित पक्ष को शीघ्र न्याय मिल सके। 1989 ई0 से पूर्व दावा केवल दुर्घटना स्थल वाले स्थान पर किया जा सकता था, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 125 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के लिये आवेदन सम्बन्धी नियम को विस्तारित किया गया है। प्रतिकर या अनुग्रह राशि पर एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है, जहाँ पर अधिकतम राशि आठ लाख तक सीमित है, को वर्तमान परिस्थितियों में और बढ़ाये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। 01.01.2017 से प्रभावी प्रतिकर या अनुग्रह राशि वर्तमान में अत्यन्त न्यूनतम प्रतीत हो रही है।

सन्दर्भ सूची

1. गौड़, एच एस, पेनल लॉ आफ इण्डिया, भाग–1 (चतुर्थ संस्करण) पृष्ठ संख्या 496
2. स्टीफन, डाइजेस्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ (आठवां संस्करण) पृ0सं0 270
3. ''मवेशी'' शब्द में भेंड़, बकरी, सूअर, कुत्ता, गदहा, भेंड़ एवं मेमना शामिल नहीं है।
4. गाड़ी में ट्राली, लारी, मोटर ट्रॉली, शामिल हैं जब ये कार्यशील गाड़ियों के लिए नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं।

5. प्रत्येक सायरन को 05 सेकेन्ड के अन्तराल पर 45 सेकेण्ड की अवधि तक बजाया जायेगा एवं इसे 05 मिनट के अन्तराल पर दोहराया जायेगा।
6. रेल दुर्घटना एवं अप्रिय घटना (क्षतिपूर्ति) संशोधन अधिनियम, 1997
7. रेल दुर्घटना एवं अप्रिय घटना (क्षतिपूर्ति) नियमावली, 1990
8. सिविल अपील संख्या 3033,(1990)
9. रेल अधिनियम, 1989
10. 01.08.2012 से प्रभावी
11. RBE No (F&A)1-89/JCM/DC Dt. 14/1/93 (NR PS 10792)
12. RBE 04/11 & 146/11
13. RBE No 61/2011 Letter Dated 11.05.2011
14. RBE 285/99, 136/08,4/11
15. RBE No 61/2011 Letter Dated 11.05.2011
16. (RBE No E(LL)98/AT/WC/ATWC/1-2 Dt. 28/1/97 (NR PS 11357)
17. The Railway Accidents and Untoward Incidents(Compensation) Rules, 1990 Schedule-Rule 3 (Amount of Compensation Payable in respect of death and Injuries) G.S.R 1165(E), dt.22.12.2016(w.e.f. 01.01.2017)

****